



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042025-262716
CG-DL-E-28042025-262716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1864]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947

No. 1864]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

का.आ. 1906(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के कि.मी. 62.700 से कि.मी.70.000 (हगरी जेडीचेरला अडोनी बइपास टाउन रोड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् रेवन्यू डिविजनल आफिसर, एडोनी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के कि.मी. 62.700 से कि.मी.70.000 के लिए अर्जन की जाने

वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: करनूल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अडोनी					
गांव का नाम: एस .कोंडापुरम					
1	81/1	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0809 (हेक्टेयर)	0.0809
2	81/2	सरकारी (गवर्नमेंट)	बंदी रस्था	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: अडोनी					
3	152/A	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0607 (हेक्टेयर)	0.0607
गांव का नाम: कल्लूबावई					
4	414	निजी (इनाम ड्राय)	ड्राय (एंडोवमेंट)	0.0769 (हेक्टेयर)	0.0769
गांव का नाम: मंदिगिरी					
5	180/A3	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
6	181/C2	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
7	182/3	निजी ((पट्टा))	ड्राय (एंडोवमेंट)	0.0162 (हेक्टेयर)	0.0162
8	183/ 10C	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
9	209/ B2	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
10	320/ 3B	निजी (इनाम)	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
11	321/ B2	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
12	321/A	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0607 (हेक्टेयर)	0.0607
13	343	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
14	355/ 3B	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0405 (हेक्टेयर)	0.0405
15	490/ C3A	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
16	493/ 3A	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
17	515/ B3	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
18	528/ 2B1	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
19	529/ A3	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004

20	529/ C2A	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
21	533/ 3A	सरकारी (गवर्नमेंट)	पोराम्बोके	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
22	545/ C3A	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
23	550/3	सरकारी (गवर्नमेंट)	यूएडबल्यू - कोडा	0.0081 (हेक्टेयर)	0.0081
24	572/2	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.2023 (हेक्टेयर)	0.2023
25	573	सरकारी (गवर्नमेंट)	पोराम्बोके	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
26	585/A3	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
27	586/3A	सरकारी (गवर्नमेंट)	यूएडबल्यू - कोडा	0.0121 (हेक्टेयर)	0.0121
28	596/1A	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
29	694/3A	निजी ((पट्टा))	ड्राय - बंजारू	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
Total					0.6669

[फा. सं. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2025

S.O. 1906(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway 167 in the stretch of land from Km 62.700 to Km 70.000 (Hagari Jadcherla Adoni Bypass Town Road) in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Adoni in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 62.700 to Km 70.000 NH167 in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: KURNOOL		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Adoni					
Village: S.Kondapuram					
1	81/1	Private ((Patta))	Dry	0.0809 (Hectare)	0.0809
2	81/2	Government	Bandi Rastha	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Adoni					
3	152/A	Private ((Patta))	Dry	0.0607 (Hectare)	0.0607
Village: Kallubavi					
4	414	Private (Inam Dry)	Dry (Endowment)	0.0769 (Hectare)	0.0769
Village: Mandigiri					
5	180/A3	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
6	181/C2	Private ((Patta))	Dry	0.0121 (Hectare)	0.0121
7	182/3	Private ((Patta))	Dry (Endowment)	0.0162 (Hectare)	0.0162
8	183/ 10C	Private ((Patta))	Dry	0.0081 (Hectare)	0.0081
9	209/ B2	Private ((Patta))	Dry	0.0081 (Hectare)	0.0081
10	320/ 3B	Private (Inam)	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
11	321/ B2	Private ((Patta))	Dry	0.0121 (Hectare)	0.0121
12	321/A	Private ((Patta))	Dry	0.0607 (Hectare)	0.0607
13	343	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
14	355/ 3B	Private ((Patta))	Dry	0.0405 (Hectare)	0.0405
15	490/ C3A	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
16	493/ 3A	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
17	515/ B3	Private ((Patta))	Dry	0.0081 (Hectare)	0.0081
18	528/ 2B1	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
19	529/ A3	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
20	529/ C2A	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
21	533/ 3A	Government	Poramboke	0.004 (Hectare)	0.004
22	545/ C3A	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
23	550/3	Government	UAW - Konda	0.0081 (Hectare)	0.0081

24	572/2	Private ((Patta))	Dry	0.2023 (Hectare)	0.2023
25	573	Government	Poramboke	0.004 (Hectare)	0.004
26	585/A3	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
27	586/3A	Government	UAW - Konda	0.0121 (Hectare)	0.0121
28	596/1A	Private ((Patta))	Dry	0.004 (Hectare)	0.004
29	694/3A	Private ((Patta))	Dry - Banjaru	0.004 (Hectare)	0.004
Total					0.6669

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-I/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director